सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-7/2023/1090/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग   लखनऊ: दिनांक- 08 अगस्त, 2023

विषय:- माननीय संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन हेतु संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02 (सं0शि0)/2015 दिनांक-18-10-2017 एवं तदक्रम में निर्गत क्रमश: शासनादेश संख्या-05/2018/ 1038/90-सं0शि0प0का0/18-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-16-10-2018, शासनादेश संख्या-02/2019/ 1155/90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-22-10-2019, शासनादेश संख्या-02/2021/ 311/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-23-03-2021 एवं शासनादेश संख्या-06/ 2021/1365/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-11-11-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/539/90-सं0शि0प0का0/2022-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-14-06-2022 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/200/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-03-02-2023, शासनादेश संख्या-05/2023/700/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-27-04-2023 तथा शासनादेश संख्या-6/2023/1075/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-04-08-2023, निर्गत है, जो यू0पी0 शासनादेश की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि विधान मण्डल के द्वितीय सत्र, 2023 के दौरान कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा मा0 सदन को अवगत कराया गया है कि माननीय सदस्यगण के प्रति प्रोटोकाल के अनुपालन के संबंध अनेकों शासनादेश निर्गत होने के बावजूद भी मा0 संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के संबंध में उक्त शासनादेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। इस संबंध में अभी भी निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के मोबाईल नम्बर अभी तक अपने मोबाईल में सेव (Save)/संरक्षित नहीं किये गये हैं और न ही काल रिसीव न कर पाने की स्थिति में उनको तत्काल कॉल बैक किया जा रहा है। अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त शासनादेशों का निरन्तर उल्लंघन किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।

कृ0पृ0-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों को आदेशित किया जाए कि उनके द्वारा अपने क्षेत्र के मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के सी0यू0जी0 नम्बर अथवा उनके द्वारा नोट कराये गये अन्य मोबाईल नम्बर को अनिवार्य रूप से अपने मोबाईल में सेव (Save)/संरक्षित किया जाए तथा किसी महत्वपूर्ण बैठक/मा0 न्यायालय के समक्ष होने की स्थिति में उनकी कॉल आने पर रिसीव न कर पाने की स्थिति में जानकारी होने पर यथासंभव मैसेज के साथ ही यथाशीघ्र उन्हें कॉलबैक किया जाय।

4- कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली-1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। मा0 सदस्यों के मोबाईल फोन नम्बर सेव (Save)/संरक्षित किये जाने की सूचना प्रत्येक अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी अपने प्रभारी अधिकारी को एवं प्रभारी अधिकारी जिलाधिकारी को देंगे। जिलाधिकारी अपने जनपद की संकलित सूचना मण्डलायुक्त को एवं मण्डलायुक्त अपनी सूचना शासन में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को देंगे। संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव प्राप्त सूचना संकलित कर उसकी 01 प्रति संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार अनुभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी अपने जनपद से संबंधित मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्य के मोबाईल नम्बर कार्यालय के सूचना पटल (डिस्प्ले बोर्ड) पर प्रदर्शित करेंगे। अपने से संबंधित मण्डल/जनपद/क्षेत्र के माननीय सदस्यों के मोबाईल फोन नम्बर अपने मोबाईल फोन में संरक्षित किये जाने की इस प्रक्रिया को प्रत्येक स्तर पर व्यक्तिगत रूचि लेते हुए शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 15 दिवस के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इनका उल्लंघन किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगा।

भवदीय,
जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-7/2023/1090(1)/90-सं0शि0प0का0/2023 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पूनम त्रिवेदी,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।